राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 690 / 2025

डॉ नरेन्द्र सोलंकी
–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य (ग्रुप–II) विभाग एवं पंचायतीराज (चिकित्सा विभाग), शासन सचिवालय जयपुर।
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
4. प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉ एस.एन. मेडिकल कॉलेज, शास्त्री नगर, जोधपुर।
5. प्रधान चिकित्सा अधिकारी सह अतिरिक्त अधीक्षक, राजकीय जिला अस्पताल मंडोर, जिला जोधपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की तिथि	:	21.07.2023
आदेश की दिनांक	:	22.07.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप कुमार बारूपाल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में राजकीय जिला अस्पताल, मंडोर, जिला जोधपुर में कार्यरत है। संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग एवं पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप जिला अस्पताल, कोलायत, जिला बीकानेर में

किया गया है तथा खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आलोच्य आदेश दिनांक 22.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त करते हुए उप जिला अस्पताल, कोलायत, जिला बीकानेर में उपस्थिति देने के लिए आदेशित किया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नियम, 1963 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 29.11.2000 के आदेश द्वारा प्रतिवादी विभाग में ''चिकित्सा अधिकारी'' के पद पर नियुक्त किया गया था। उसका आगे कथन है कि वर्ष 2006 में अपीलार्थी ने अपना जनरल मेडिसीन स्ट्रीम कोर्स पूरा करने के बाद सीएचसी रामसर, जिला बाडमेर में कार्यभार ग्रहण कर अपनी सेवाएं दी हैं। इसके पश्चात् अपीलार्थी को दिनांक 27.06.2008 (अनुलग्नक–3) के आदेश द्वारा सीएचसी रामसर, जिला बाडमेर से श्री जवाहर चिकित्सालय जैसलमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 24.07.2013 को स्थानांतरण आदेश जारी कर अपीलार्थी को श्री जवाहर चिकित्सालय, जैसलमेर से वर्तमान पदस्थापन स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया एवं वर्तमान में वहीं कार्यरत है। अपीलार्थी को सेवाकाल के दौरान 1963 के सेवा नियमों के अनुसार 6 वर्ष का अपेक्षित सेवा अनुभव पूरा करने के पश्चात् कनिष्ठ विशेषज्ञ (चिकित्सा) के पद से वरिष्ठ विशेषज्ञ (चिकित्सा) के पद पर पदोन्नत किया गया। तदनुसार अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ विशेषज्ञ (चिकित्सा) के पद पर कार्यरत है।

3. अपीलार्थी का आगे कथन है कि उसके केवल एक पुत्री है जो वर्तमान में जोधपुर स्थित एक विद्यालय में कक्षा नौवीं की छात्रा है। अपीलार्थी की पुत्री मूत्र संबंधी रोगों अर्थात् मूत्राशय वृद्धि (PUNLMP) रोग से पीडित है। अपीलार्थी अपनी इकलौती पुत्री की देखभाल स्वयं करता है (अनुलग्नक–5)। अपीलार्थी की पुत्री का इलाज एमडीएम अस्पताल, जोधपुर से नियमित तौर पर चल रहा है। इस संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.04.2021 (अनुलग्नक–7) प्रस्तुत किया परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उस पर कोई विचार नहीं किया गया है।

4. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आलोच्य आदेश दिनांक 22.01.2025 (अनुलग्नक–2) को अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश जारी किये जावें कि अपीलार्थी को राजकीय जिला अस्पताल, मंडोर, जिला जोधपुर में निरन्तर कार्यरत रखा जावे।

5. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी।

6. बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

7. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

8. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य